

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	श्रावण 31, मंगलवार, श॥के 1945-अगस्त 22, 2023 <i>Sravana 31, Tuesday, Saka 1945- August 22, 2023</i>	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2023

**संख्या प.2(10)विधि/2/2023.-** राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज अधिनियम, 2023**

(2023 का अधिनियम संख्यांक 18)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज की स्थापना और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज और उनसे सहबद्ध क्षेत्रों से संबंधित क्रियाकलापों के अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, विस्तारण और पक्षपोषण के लिए डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र प्रोग्राम प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में लोक-निजी भागीदारी रीति के अधीन विश्वविद्यालय की प्रास्थिति रखने वाले और भावी महत्ता की संस्था के रूप में एक स्वायत्त, डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर अधिगम केन्द्र की स्थापना और निगमन किया जाना समीचीन है।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

## अध्याय-1

### प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “बोर्ड” से संस्थान के संबंध में, धारा 16 में निर्दिष्ट शासी बोर्ड अभिप्रेत है;

- (ख) “चेयरपर्सन” से धारा 8 में निर्दिष्ट संस्थान के शासी बोर्ड का चेयरपर्सन अभिप्रेत है;
- (ग) “संकायाध्यक्ष” से धारा 13 के अधीन नियुक्त संस्थान का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है जो संस्थान के शैक्षणिक क्रियाकलापों का प्रभारी होगा;
- (घ) “निदेशक” से धारा 10 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;
- (ङ) “कर्मचारी” से संस्थान द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें अध्यापक या संकाय सदस्य, कोई प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द, या संस्थान के कर्मचारिवृन्द का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है;
- (च) “संकाय सदस्य या संकाय” से शैक्षणिक क्षेत्र से कोई आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और/या शैक्षणिक क्षेत्र से व्यवसायरत/वृत्तिक आचार्य या संस्थान द्वारा शिक्षा या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन देने या संस्थान में अनुसंधान संचालित करने के लिए, या तो स्थायी तौर पर या संविदात्मक आधार पर, नियुक्त या कार्यरत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें संकायाध्यक्ष और निदेशक सम्मिलित हैं;
- (छ) “वित्त अधिकारी” से धारा 14 के अधीन नियुक्त किया गया संस्थान का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) “निधि” से धारा 24 के अधीन संधारित संस्थान की निधि अभिप्रेत है;
- (झ) “उद्योग भागीदार” से कोई व्यक्ति, या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन स्थापित कोई न्यास, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन बनायी गयी और रजिस्ट्रीकृत की गयी सोसाइटी, या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केंद्रीय अधिनियम सं.9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म, या कोई वित्तीय संस्था या ऐसे एक या एक से अधिक उद्योग भागीदारों का कोई संयोजन अभिप्रेत है;
- (ञ) “संस्थान” से धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की प्रास्थिति रखने वाला, डिग्री प्रदान करने वाला स्वायत्त उच्चतर अधिगम केंद्र, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज, अभिप्रेत है;
- (ट) “रा.सं.रैं.फ्रे.” से विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क अभिप्रेत है;
- (ठ) “विहित” से विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) “लोक-निजी भागीदारी” से राज्य सरकार की स्कीम के अधीन ऐसी भागीदारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों के मध्य सहयोग अंतर्वलित करने वाले संस्थान की स्थापना के लिए उपबंध करती है;
- (ढ) “कुल-सचिव” से धारा 12 के अधीन नियुक्त संस्थान का कुल-सचिव अभिप्रेत है;

- (ण) “विनियम” से धारा 31 के अधीन बनाये गये संस्थान के विनियम अभिप्रेत हैं;
- (त) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (थ) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और
- (द) “वि.अ.आ.” से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।

## अध्याय-2

### संस्थान

**3. संस्थान की स्थापना और निगमन.-** (1) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज के नाम से एक संस्थान जयपुर में स्थापित किया जायेगा।

(2) संस्थान शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा रखने वाला एक निगमित निकाय होगा, और उक्त निगमित नाम से वाद लायेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) संस्थान राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जो लोक-निजी भागीदारी की रीति से भागीदारी के लिए खुला होगा।

(4) संस्थान सहयोग के लिए भागीदारों की पहचान करने का और लोक-निजी भागीदारी के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विकसित करने का प्रयास करेगा।

**4. संस्थान का सभी वर्गों और पंथ के लिए खुला होना.-** संस्थान लिंग, नस्ल, पंथ या वर्गों का विचार किये बिना समस्त व्यक्तियों के लिए खुला होगा, और संस्थान के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति, जो चाहे कोई भी धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनैतिक राय रखता हो, पर संस्थान के किसी अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारित करने या संस्थान के एक छात्र के रूप में प्रवेश लिये जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए कोई भी ऐसे परीक्षण को अपनाये या अधिरो पित करे:

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजन और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए पदों पर आरक्षण और छात्रों के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण, राज्य सरकार की तत्समय प्रवृत्त विधियों और आदेशों से विनियमित किया जायेगा।

**5. संस्थान के उद्देश्य.-** संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज में उन्नत ज्ञान के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तावित करना और कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर डिग्रीयां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र इत्यादि प्रदान करना;
- (ख) नवीन ज्ञान और नवपरिवर्तन की अभिवृद्धि के लिए, अनुसंधान, प्रकाशन, परामर्श और सलाहकारी कार्य का क्रियान्वयन करना तथा गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना;

परन्तु इस प्रकार संचालित अनुसंधान, अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों जो इस अधिनियम के उद्देश्यों में यथा प्रतिष्ठापित समावेशी, साम्यापूर्ण और सतत् राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की वृद्धि करेंगे, की ओर भी निदिष्ट होगा;

- (ग) गवर्नेस और सोशियल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों की उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ अंतरविषयक अध्ययन को बढ़ाना;
- (घ) समाज को समग्र रूप से योगदान दिये जाने के लिए, समावेशी, साम्यापूर्ण और सतत् राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की दृष्टि से गवर्नेस शिक्षा को संवेदनशील बनाना;
- (ङ) सामाजिक और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन और विकास करना;
- (च) उन शैक्षिक कार्यक्रमों और संकायों का विकास करना, जो शिक्षा शाखाओं में गवर्नेस और सोशियल साइंसेज शिक्षा, अध्यापन और अधिगम के हेतुक की अभिवृद्धि करते हों;
- (छ) गवर्नेस और सोशियल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों के अध्ययन के लिए केन्द्रों को स्थापित करना;
- (ज) भारत में गवर्नेस और सोशियल साइंसेज और सहबद्ध क्षेत्रों की संस्थाओं और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ समर्थन और सहयोग करना; और
- (झ) गवर्नेस और सोशियल साइंसेज शिक्षा और अनुसंधान के हित को विस्तारित करने के लिए, अन्य देशों में भी गवर्नेस और सोशियल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों की शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग करना।

**6. संस्थान की शक्तियां और कृत्य.-** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (क) गवर्नेस और सोशियल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, स्नातक, स्नातकोत्तर और अति-विशिष्ट शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, और ऐसी शाखाओं में अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (ख) डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;
- (ग) संस्थान का प्रशासन और प्रबंधन संपादित करना;
- (घ) तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुरूप, अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों/छात्रों/सहभागियों के प्रवेश के लिए विनियमों द्वारा उपबंध करना;
- (ङ) गवर्नेस और सोशियल साइंसेज तथा सहबद्ध विषयों और दस्तावेज, और उनके ज्ञान के प्रसार के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और अनुसंधान विनिर्दिष्ट करना और संचालित करना;
- (च) गतिमान वैश्विक गवर्नेस और सोशियल साइंसेज पद्धतियों के अनुरूप अभिनव शिक्षा शास्त्र विकसित करना;

- (छ) परीक्षाएं संचालित करना और एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन और कार्य निर्धारण की प्रक्रियाएं स्थापित करना;
- (ज) शिक्षा की लागत कम करना और सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अभिनव पद्धतियों के उपयोग द्वारा शिक्षा की पहुंच में वृद्धि करना;
- (झ) संस्थान द्वारा उपबंधित प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकार सेवाओं इत्यादि को सम्मिलित करते हुए, शिक्षण और अन्य सेवाओं के लिए, संस्था या निगमित निकाय छात्रों/अभ्यर्थियों/सहभागियों और किसी अन्य व्यक्ति, से फीस और अन्य प्रभारों के, जैसा संस्थान उचित समझे, संदाय को अवधारित, विनिर्दिष्ट और प्राप्त करना;
- (ञ) संस्थान के किसी कारबार के निपटान के लिए या संस्थान से संबंधित किसी मामले में सलाह देने के लिए समितियां नियुक्त करना;
- (ट) संस्थान के पूंजीगत व्ययों और उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय को सम्मिलित करते हुए, व्ययों की पूर्ति करने के लिए अनुदान, दान, अभिदाय और विन्यास प्राप्त करना और संस्थान की आन्तरिक रूप से सृजित निधियों को अभिरक्षा में रखना;
- (ठ) भागीदारी, संबद्धता और वृत्तिक के अन्य वर्ग या मानद या तकनीकी सदस्यता या पद, संस्थान जैसा आवश्यक समझे, सृजित करना;
- (ड) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों; और
- (ढ) संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के क्रम में यथा आवश्यक, कोई अन्य कार्य या बात करना: परंतु संस्थान-
- (i) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय संस्थान की किसी स्थावर सम्पत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगा; और
  - (ii) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण के सिवाय, संस्थान में कोई पद सृजित नहीं करेगा।

(2) संस्थान एक गैर-लाभकारी विधिक इकाई होगा और इस अधिनियम के अधीन इसके प्रचालन से संबंधित समस्त व्ययों की पूर्ति के पश्चात्, ऐसे संस्थान के राजस्व के अधिशेष, यदि कोई हों, के किसी भाग का, संस्थान की वृद्धि और विकास या उसमें अनुसंधान संचालित करने इत्यादि से भिन्न प्रयोजन के लिए विनिधान नहीं किया जायेगा।

(3) संस्थान, शासी बोर्ड के पूर्वानुमोदन से, शिक्षाक्षेत्र और उद्योग दोनों से अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृंद या तो स्थायी या संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर सकेगा। संस्थान कतिपय क्रियाकलापों और सुविधाओं को, जो शासी बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी जायें, आउटसोर्स भी कर सकेगा।

(4) संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा, वित्त और उपापन समिति की सहमति से, चयन समिति के सुझावों पर अवधारित किये जायें।

### अध्याय-3

#### संस्थान के अधिकारी

7. संस्थान के अधिकारी.- संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (क) संस्थान का चेयरपर्सन;
- (ख) निदेशक;
- (ग) कुल-सचिव;
- (घ) संकायाध्यक्ष;
- (ङ) वित्त अधिकारी; और
- (च) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**8. चेयरपर्सन.-** (1) शिक्षा क्षेत्र/उद्योग का कोई विख्यात व्यक्ति संस्थान का चेयरपर्सन होगा और वह शासी बोर्ड का भी चेयरपर्सन होगा।

- (2) चेयरपर्सन की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर होगी।
- (3) चेयरपर्सन की पदावधि तीन वर्ष होगी।

**9. चेयरपर्सन की शक्तियां और कृत्य.-** (1) चेयरपर्सन की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे,-

- (क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यकलापों का प्रशासन इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जा रहा है और ऐसे कदम उठाना, जो वह उचित समझे;
- (ख) ऐसी सूचना या अभिलेख मंगाना जो संस्थान के कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित हों;
- (ग) संस्थान की शैक्षणिक प्रगति का पुनर्विलोकन करना और सुनिश्चित करना कि क्या यह संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप है;
- (घ) संस्थान को विश्वप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता करना;
- (ङ) बैठक से पूर्व या उसके दौरान किसी भी समय कार्यसूची में कारबार की नयी मदों या जो विचार किये जाने के लिए कार्यसूची में सम्मिलित हैं उनकी अनुपूरक मदों को सम्मिलित करना; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्य संपादित करना, जो नियमों के अधीन विहित किये जायें या शासी बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

- (2) चेयरपर्सन अपनी शक्तियों में से किसी को संस्थान के निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (3) चेयरपर्सन संस्थान के बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (4) संस्थान की बैठकें चेयरपर्सन के निदेशों के अनुसार बुलायी जायेंगी।

**10. संस्थापक निदेशक और निदेशक.-** (1) राज्य सरकार द्वारा शिक्षाक्षेत्र और उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से संस्थान का संस्थापक निदेशक नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। संस्थान का संस्थापक निदेशक नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(2) संस्थान के निदेशक का पद, लोक विज्ञापन द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा भरा जायेगा। निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर चेयरपर्सन द्वारा निदेशक नियुक्त किया जायेगा,-

(क) संस्थान का चेयरपर्सन

- पदेन चेयरपर्सन;

(ख) उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव - पदेन सदस्य;

(ग) संस्थान के चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग या शिक्षा क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ, जो पहले से ही शासी बोर्ड के भाग हों - सदस्य;

(घ) उद्योग और शिक्षा क्षेत्र प्रत्येक में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित हैं जब वह उस विभाग का प्रभारी हो।

(3) (क) निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास पी.एच.डी. या शिक्षा क्षेत्र और/या उद्योग में विशिष्ट कैरियर के साथ समतुल्य उच्च स्तर की शैक्षणिक/उद्योग की उपलब्धि हो, वि.अ.आ. के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संस्था निर्माण का अनुभव हो और जिसने उच्च गुणवत्ता के रेफरीड प्रकाशनों, पेटेंट और पॉलिसी प्रभाव के माध्यम से ज्ञान और पद्धति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(ख) निदेशक, उस तारीख से, जिसको वह पदभार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा:

परंतु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) निदेशक, चेयरपर्सन को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा और चेयरपर्सन द्वारा उसकी स्वीकृति होने पर उसका पद धारण करना समाप्त हो जायेगा।

(5) चयन समिति यथाशक्य, ऐसी तारीख से कम से कम नब्बे दिवस पूर्व जिस पर अवधि के अवसान के कारण निदेशक के पद की रिक्ति होने वाली हो या उप-धारा (4) के अधीन त्यागपत्र देने पर और जब कभी भी ऐसा अपेक्षित हो तथा ऐसी तारीख से पूर्व जो चेयरपर्सन द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये निदेशक का पद धारित कर सकने वाले तीन से अनधिक व्यक्तियों के नाम चेयरपर्सन को प्रस्तुत करेगी। नाम प्रस्तुत करते समय, समिति इस प्रकार सिफारिश किये गये प्रत्येक व्यक्ति की अर्हताओं को दर्शित करते हुए एक संक्षिप्त विवरण भी चेयरपर्सन को अग्रेषित करेगी किंतु उसमें प्राथमिकता का कोई क्रम इंगित नहीं करेगी।

(6) जहां चेयरपर्सन, चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी एक या अधिक व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझता है या यदि सिफारिश किये गये एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं/हैं और निदेशक के पद के लिए विकल्प तीन से कम व्यक्तियों तक निर्बंधित है, तो वह समिति से उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(7) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र, उसके सदस्यों में भी किसी रिक्ति या रिक्तियों के कारण या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यवाही में भाग लिये जाने के कारण जो बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, अविधिमान्य नहीं होगी।

(8) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में (जिनके विद्यमान होने के कारण चेयरपर्सन एकमात्र न्यायाधीश होगा) चेयरपर्सन अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से छह मास से अनधिक की अवधि के लिए निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा:-

- (क) जहां निदेशक के पद की कोई रिक्ति होती है और वह उप-धारा (1) से (6) के उपबंधों के अनुसार सुविधाजनक रूप से और शीघ्रता से नहीं भरी जा सकती है;
- (ख) किसी अन्य आपातकाल की स्थिति में।
- (9) निदेशक की अनुपस्थिति में संस्थान का वरिष्ठतम आचार्य निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (10) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निदेशक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संस्थान के विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और इस निमित्त शासी बोर्ड द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित हों।
- (11) बोर्ड ऐसे निदेशक को पद से हटा सकेगा, जो-
- (क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया हो; या
  - (ख) बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
  - (ग) निदेशक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
  - (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिये जाने पर जिससे निदेशक के रूप में उसके कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भाव्यता हो; या
  - (ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किये जाने पर या इस तरह से आचरण किये जाने पर जिससे उसका पद पर निरंतर बने रहना, लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो;
- परन्तु निदेशक को पद से नहीं हटाया जायेगा सिवाय बोर्ड के द्वारा संस्थित जांच के बाद एक आदेश द्वारा, जिसमें निदेशक को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में बताया गया हो और उसे उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो।

**11. संस्थापक निदेशक और निदेशक की शक्तियां और कृत्य.-** (1) संस्थापक निदेशक/निदेशक संस्थान का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा।

- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक,-
- (क) चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में, बैठकों की अध्यक्षता करेगा;
  - (ख) संस्थान के कार्यकलापों का साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा;
  - (ग) संस्थान की निरंतर प्रगति के लिए युक्तिपूर्ण दृष्टिकोण, योजना और नेतृत्व की व्यवस्था करेगा;
  - (घ) संस्थान के प्राधिकारियों के विनिश्चयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा;
  - (ङ) संस्थान के पात्र, नियमित छात्रों के लिए लाभप्रद नियोजन अवसर प्रदान करने के साथ पाठ्य विवरण सृजन और वास्तविक समय पुनरीक्षण के लिए ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग करने के लिए उत्तरदायी होगा;
  - (च) संस्थान के संकाय विकास की पहल के लिए उत्तरदायी होगा;
  - (छ) संस्थान में अनुदेश देने और अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;



- (ज) किसी व्यक्ति को, ऐसे प्रयोजन के लिए जो संस्थान के हित में आवश्यक हो, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बोर्ड के अनुमोदन से लगा सकेगा;
- (झ) गुणवत्ता मानकों पर वास्तविक शैक्षणिक/संस्थागत मानिट्रिंग के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ञ) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए संस्थागत विकास योजना (आई.डी.पी.) की तैयारी और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा; और
- (ट) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधिकरण, प्रायोजित अनुसंधान, उद्योग सहयोग, संयुक्त प्रमाणन इत्यादि जैसे स्रोतों से निधियां प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जहां कोई मामला तत्काल प्रकृति का है जिसमें तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है और वह संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर कार्रवाई करने के लिए सशक्त है, तत्काल कार्रवाई नहीं की जा सकती हो वहां, निदेशक ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे और उसके द्वारा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल चेयरपर्सन को प्रस्तुत करेगा और उस अधिकारी या प्राधिकारी को भी करेगा जो सामान्य अनुक्रम में मामले पर कार्रवाई करता:

परंतु यदि ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की यह राय है कि निदेशक द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, वह मामले को चेयरपर्सन को निर्देशित कर सकेगा, जो निदेशक द्वारा की गयी कार्रवाई को या तो पुष्ट कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा या ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, उपां तरित कर सकेगा और तदुपरि यह प्रभावी नहीं रहेगा या, यथास्थिति, इसका उपांतरित रूप में प्रभाव होगा:

परंतु यह और कि ऐसे बातिलकरण या उपांतरण का, जैसा पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट है, निदेशक के आदेश के अधीन या द्वारा पूर्व में किये गये किसी कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड के चेयरपर्सन या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किये जायें।

(5) निदेशक संस्थान से संबंधित समस्त मामलों के संचालन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

**12. कुल-सचिव.-** (1) कुल-सचिव संस्थान का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह प्रत्यक्षतः निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय शिक्षा (उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान) के आचार्य/सह-आचार्य में से या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (सुपर टाईम वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा या विनियमों द्वारा यथाविहित लोक विज्ञापन के माध्यम से, निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (क) निदेशक  | - पदेन चेयरपर्सन; |
| (ख) उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव;   | - पदेन सदस्य; और  |
| (ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग या शिक्षा क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ | - सदस्य।          |

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोई प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(3) कुल-सचिव संस्थान का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। कुल-सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) कुल-सचिव-

(क) शासी बोर्ड और निदेशक के समस्त निदेशों और आदेशों का पालन करेगा;

(ख) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जिसे शासी बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे। वह बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा जो इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हों। वह संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदनों को प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या और ऐसी अन्य सूचना, जो आवश्यक समझी जायें, का स्थायी अभिलेख रखेगा;

(ग) शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त और उपापन समिति, संकायों और संस्थान के किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति की समस्त बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा;

(घ) शासी बोर्ड और विद्या परिषद् का शासकीय पत्र-व्यवहार संचालित करेगा;

(ङ) जब न तो चेयरपर्सन न ही सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने और संस्थान के कार्य के लिए इसके निदेश लेने में समर्थ हो, तब आपातकाल में तत्काल शासी बोर्ड की बैठक बुलायेगा;

(च) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए प्रत्यक्षतः निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो शासी बोर्ड या निदेशक द्वारा समय-समय पर उसको समनुदेशित किये जायें।

(5) किसी कारणवश कुल-सचिव का पद रिक्त रहने की दशा में, निदेशक, कुल-सचिव की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जैसा निदेशक उचित समझे, संस्थान की सेवा में के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

**13. संकायाध्यक्ष.-** (1) संस्थान का एक संकायाध्यक्ष होगा, जिसे बोर्ड, संस्थान के वरिष्ठ आचार्यों में से नियुक्त करेगा। वह तीन वर्ष के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(2) संकायाध्यक्ष संस्थान के शैक्षणिक मामलों में निदेशक की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

**14. वित्त अधिकारी.-** (1) संस्थान के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसे निदेशक, शासी बोर्ड की सिफारिश पर नियुक्त करेगा और उसका पारिश्रमिक और भत्ते ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वित्त अधिकारी या तो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (सुपर टाईम वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा या विनियमों द्वारा यथाविहित लोक विज्ञापन के माध्यम से धारा 12 के अधीन चयन समिति द्वारा संचालित की गयी साक्षात्कार प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जायेगा और पद नियतकालिक संविदा आधार पर भी भरा जा सकेगा।

(3) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया गया है जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया है;
- (ख) ऐसे किसी प्रस्तावित व्यय को नामंजूर करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है और लेखा परीक्षा के दौरान या अन्यथा सामने आयी किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान की संपत्ति और विनिधान सम्यक् रूप से संरक्षित और प्रबंधित किये जायें; और
- (ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो चेयरपर्सन या शासी बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।

(4) वित्त अधिकारी को संस्थान के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तथा इसके कार्यकलापों से संबंधित ऐसी सूचना तक पहुंच का अधिकार होगा और उन्हें प्रस्तुत कराने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(5) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

#### अध्याय-4

#### संस्थान के प्राधिकारी

**15. संस्थान के प्राधिकारी.-** संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (क) शासी बोर्ड;
- (ख) विद्या परिषद;
- (ग) वित्त और उपापन समिति;
- (घ) प्रवेश समिति;
- (ङ) परीक्षा समिति;
- (च) चयन समिति; और
- (छ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी होना विहित किये जायें।

**16. शासी बोर्ड.-** (1) शासी बोर्ड संस्थान का प्रमुख शासी निकाय होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| (क) संस्थान का चेयरपर्सन  | - पदेन चेयरपर्सन;        |
| (ख) वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव  | - पदेन सदस्य;            |
| (ग) उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव  | - पदेन सदस्य;            |
| (घ) राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिश पर संस्थान के चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, लगातार कुल मिलाकर एनआईआरएफ-100 रैंकिंग वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों से दो निदेशक/कुलपति | - पदेन सदस्य;            |
| (ङ) राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिश पर संस्थान के चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, वित्त/गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज सेक्टर से तीन प्रख्यात व्यक्तित्व                        | - सदस्य;                 |
| (च) राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिश पर संस्थान के चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग और शिक्षाक्षेत्र से तीन प्रख्यात व्यक्तित्व   | - सदस्य;                 |
| (छ) निदेशक  | - पदेन सदस्य;            |
| (ज) कुल-सचिव  | - पदेन सदस्य-सचिव;<br>और |
| (झ) संकायाध्यक्ष  | - पदेन सदस्य।            |

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और उसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक रहेगी जब तक उसके पदाभिधान से वह एक सदस्य है।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) और (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष होगी।

(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य की, जिसके स्थान पर इसको नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि के लिए जारी रहेगी।

(5) बोर्ड की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर होगी जो चेयरपर्सन समय-समय पर अवधारित करे।

(6) किसी बैठक में कार्य संचालन या अन्यथा या अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के पालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाये।

(7) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों, जो विहित किये जायें, के अधीन रहते हुए बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के पालन के लिए ऐसी समितियां, जो वह उचित समझे, गठित कर सकेगा।

**17. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.-** (1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड-

- (क) संस्थान के कार्यकलापों और कार्यकरण के प्रशासन से संबंधित नीति के मामलों पर संस्थान के विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठायेगा;
- (ख) उद्योग की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थान में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन संस्थित करेगा और संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित मामलों सहित समस्त शैक्षणिक मामलों पर विद्या परिषद् की सलाह पर विनिश्चय लेगा;
- (ग) संस्थान की निरंतर प्रगति के लिए नीतिगत परिकल्पना, योजना और नेतृत्व प्रदान करेगा;
- (घ) संस्थान की संपत्ति और निधियों को धारित और नियंत्रित करेगा;
- (ङ) संस्थान के निमित्त कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकेगा;
- (च) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान के व्ययन के अधीन रखी गयी किसी निधि की व्यवस्था करेगा;
- (छ) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों को सृजित या समाप्त कर सकेगा;
- (ज) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, संपत्ति, कारबार और समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध और विनियमन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, ऐसा अभिकर्ता, नियुक्त कर सकेगा, जो वह उचित समझे;
- (झ) संस्थान के धन (विन्यास संपत्ति से किसी आय को सम्मिलित करते हुए) का ऐसे स्टॉक, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगा जो वह समय-समय पर उचित समझे;
- (ञ) संस्थान के निमित्त संविदाएं कर सकेगा, उनमें परिवर्तन, उनका कार्यान्वयन और रद्दकरण कर सकेगा; और
- (ट) संस्थान के हित में उन मामलों पर कोई अन्य विनिश्चय कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए विनियमों से असंगत न हों।

**18. विद्या परिषद्.-** (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (क) निदेशक  | - पदेन चेयरपर्सन;  |
| (ख) कुल-सचिव  | - पदेन सदस्य;      |
| (ग) संकायाध्यक्ष  | - पदेन सदस्य-सचिव; |
| (घ) अध्यापन विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष   | - पदेन सदस्य;      |
| (ङ) राज्य सरकार की सिफारिश पर, चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले वित्त/ गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज सेक्टर से तीन व्यक्ति | - सदस्य; और        |
| (च) राज्य सरकार की सिफारिश पर, चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले भारत या विदेश से तीन                                    | - सदस्य।           |

## विख्यात शिक्षाविद्

(2) विद्या परिषद् निम्नलिखित कृत्य संपादित करेगी, अर्थात्:-

- (क) विभिन्न विभागों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण तैयार करना और उनमें परिवर्तनों की सिफारिश करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम ऑनलाइन/डिजिटल अधिगम में शिथिलीकरण और विकास का उपयोग कर रहे हैं;
- (ग) कैरियर परामर्श सहायता सहित व्यक्तिगत अधिगम को समर्थ बनाना;
- (घ) समस्त पाठ्यक्रमों में विरचनात्मक निर्धारणों को समर्थ बनाना;
- (ङ) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्था करना;
- (च) विभागों के कार्यकरण के संबंध में शैक्षणिक मामलों पर सिफारिशें करना;
- (छ) विद्या परिषद् के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों और बाह्य विशेषज्ञों में से, ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों पर उप-समितियां नियुक्त करना जो विद्या परिषद् द्वारा ऐसी उप-समिति को निर्दिष्ट किये जायें;
- (ज) उप-समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और बोर्ड को यथोचित सिफारिशें करने सहित प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करना;
- (झ) विभागों के क्रियाकलापों का आवधिक पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो बोर्ड को यथोचित सिफारिशें करना;
- (ञ) पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र आदि के कार्यकरण पर सलाह देना;
- (ट) संस्थान के भीतर अनुसंधान प्रोत्साहित करना और चिंतन-आविष्कार-क्रियान्वयन की संस्कृति का संवर्धन करना;
- (ठ) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद द्वारा किये जाने वाले परामर्श कार्य के संबंध में अनुसरण की जाने वाली साधारण नीति पर सलाह देना;
- (ड) कक्षाओं, पुस्तकालय और इनकी शाखाओं के निरीक्षण हेतु उपबंध करना और उसकी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना; और
- (ढ) पारितोषिकों से जुड़ी शर्तों के अनुसार वृत्ति, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, शुल्क-मुक्ति, पदक और पुरस्कार आदि प्रदान करना।

(3) शैक्षणिक संव्यवहारों और अध्यापन-अधिगम की उभरती आवश्यकताओं के पुनर्विलोकन के लिए, विद्या परिषद्, जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान चार बार से अन्यून बैठकें करेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठक परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या निदेशक के निदेश पर या विद्या परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर बुलायी जाएगी।

(5) विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी।

(6) बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यसूची सहित एक लिखित नोटिस, विद्या परिषद् के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा। विद्या परिषद् का चेयरपर्सन कार्यसूची पर ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके लिए सम्यक् रूप से नोटिस नहीं दिया गया हो।

(7) चेयरपर्सन अत्यावश्यक या विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए, उप-धारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अल्प सूचना पर विद्या परिषद् की एक आपात बैठक बुला सकेगा।

(8) विद्या परिषद् के चेयरपर्सन का विनिश्चय समस्त मामलों के संबंध में अंतिम होगा।

(9) विद्या परिषद् के कार्यवृत्त सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किये जायेंगे और बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के मध्य परिचालित किये जायेंगे।

**19. वित्त और उपापन समिति.-** (1) वित्त और उपापन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

- |  |                    |
|--|--------------------|
| (क) निदेशक   | - पदेन चेयरपर्सन;  |
| (ख) कुल-सचिव   | - पदेन सदस्य-सचिव; |
| (ग) वित्त अधिकारी  | - पदेन सदस्य; और   |
| (घ) शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य | - सदस्य।           |

(2) वित्त और उपापन समिति, संस्थान की आय और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के संबंध में अनुपालन किये जाने वाले सिद्धांतों की सीमाओं सहित, संस्थान की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर बोर्ड को सलाह देगी।

(3) वित्त और उपापन समिति संस्थान के निमित्त समस्त उत्पादों तथा सेवाओं के उपापन संबंधी समस्त विनिश्चय करेगी।

(4) वित्त और उपापन समिति के ऐसे अन्य कृत्य और शक्तियां होंगी जो उसके कृत्यों, जो विहित किये जायें, के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों।

**20. अन्य प्राधिकारी.-** संस्थान की प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

#### अध्याय-5

#### संस्थान के कर्मचारिवृंद

**21. संस्थान के कर्मचारिवृंद.-** (1) संस्थान इतने पदों के विरुद्ध जो समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा मंजूर किये जायें, कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। संस्थान के कर्मचारियों के निबंधन और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विनियमों में उपबंधित की जायें।

(2) संस्थान, भारत या विदेश से संबंधित संस्थानों में से अभिप्रेरित और सक्षम व्यक्तियों और प्रख्यात शिक्षाविदों को आकर्षित करने का प्रयास करेगा।

(3) संस्थान के हित में, पात्र सरकारी सेवकों को सरकारी मानकों और शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर या सेवा से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) सुसंगत विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड समय-समय पर पदों को सृजित या समाप्त, जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा।

**22. संकाय सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति.-** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी संख्या में आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और

अधिकारियों की नियुक्ति चेयरपर्सन द्वारा की जायेगी। अन्य कर्मचारी, जो आवश्यक हों, निदेशक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संस्थान के अधिकारियों, संकाय सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को ऐसी रीति से और ऐसे पदनाम तथा ग्रेड के साथ नियुक्त किया जायेगा, जैसा विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये संस्थान के कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जो विहित की जायें।

(4) कोई भी व्यक्ति संस्थान के संकाय सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या किसी अन्य केन्द्रीय, राज्य विनियामक निकाय, और यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विहित की गयी अर्हताओं को पूर्ण न करता हो और इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त गठित चयन समिति द्वारा उसकी सिफारिश नहीं की गयी हो।

(5) संस्थान के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए चयन समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(क) निदेशक, जो चयन समिति का चेयरपर्सन होगा;

(ख) संकायाध्यक्ष;

(ग) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले तीन विशेषज्ञ; और

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायें।

(6) इस धारा के अधीन गठित चयन समिति ऐसी प्रक्रियाओं का, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित की जायें, अनुसरण करेगी।

(7) चयन समिति द्वारा की गयी कोई भी सिफारिशें, जब तक कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत उनका समर्थन न कर दे, विधिमान्य नहीं मानी जायेंगी:

परन्तु उप-धारा (5) के अधीन गठित चयन समिति की दशा में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(8) जहां चयन समिति उप-धारा (7) के उपबंधों के अनुसार कोई सिफारिश करने में विफल रहती है वहां चयन समिति के कार्यवृत्त चेयरपर्सन को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उसे उस पर अपने विचारों सहित, विनिश्चय हेतु शासी बोर्ड को अग्रेषित करेगा और बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) जहां चयन समिति की सिफारिशें चेयरपर्सन को स्वीकार्य नहीं हों, वहां वह ऐसी सिफारिशों पर आक्षेप के आधारों को संक्षिप्त शब्दों में विनिर्दिष्ट करते हुए, संपूर्ण मामला बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा, और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु चेयरपर्सन के लिए मामले को पुनर्विचार के लिए चयन समिति को निर्दिष्ट करना या मामले पर विचार करने के लिए दूसरी चयन समिति गठित किये जाने की अपेक्षा करना विधिपूर्ण होगा।

## अध्याय-6

### वित्त और संपरीक्षा

**23. राज्य द्वारा सहायता अनुदान.-** राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थान को उसके कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधान-मंडल



के सदन द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन की ऐसी राशि, ऐसी रीति से जो वह उचित समझे, संस्थान को संदत्त कर सकेगी।

**24. संस्थान की निधि.-** (1) संस्थान एक निधि संधारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे-

(क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त निधियां;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त फीस और अन्य प्रभार; और

(ग) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त निधियां।

(2) संस्थान निधियों के लिए अपने स्वयं के स्रोत सृजित करने का प्रयास करेगा और संचालन प्रारंभ करने के पांच वर्षों के भीतर-भीतर संचालनों पर आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य के साथ, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गयी निधियों पर निर्भरता में धीरे-धीरे कमी लायेगा।

(3) संस्थान में जमा की गयी समस्त निधियां किन्हीं अनुसूचित बैंकों में निक्षिप्त की जायेंगी और वित्त और उपापन समिति तथा शासी बोर्ड के अनुमोदन से, ऐसी रीति से जो संस्थान अभिनिश्चित करे, निवेशित की जायेंगी।

(4) निधि का उपयोग धारा 6 के अधीन यथा उपबंधित शक्तियों के प्रयोग और इसके कृत्यों के पालन में उपगत व्ययों को सम्मिलित करते हुए, संस्थान के व्ययों की पूर्ति करने के लिए किया जायेगा।

**25. संस्थान का बजट.-** (1) संस्थान, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, संस्थान की आगामी प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को प्रदर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में एक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को, ऐसी रीति से जो नियमों के अधीन विहित की जाये, अग्रेषित करेगा।

(2) बजट उस कालावधि के लिए शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थागत विकास योजना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

(3) बोर्ड ऐसे निदेशों की, जो राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से बजट अनुमोदित करते समय दिये जायें, अनुपालना करेगा।

(4) संस्थान के लिए बजट में मंजूर नहीं किया गया कोई व्यय या संस्थान को अनुदत्त की गयी निधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के लिए निबंधनों के सिवाय, राज्य सरकार या भारत सरकार, या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा बजट की पश्चातवर्ती मंजूरी उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा:

परंतु भारत सरकार और राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से निधियां संस्थान द्वारा, केवल विधि के अधीन यथा अपेक्षित, आवश्यक समाशोधन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्राप्त की जायेंगी:

परंतु यह और कि, अचानक या अकल्पित परिस्थितियों के मामले में, बजट में मंजूरी के अतिरिक्त, पच्चीस लाख रुपये से अनधिक अनावर्ती व्यय निदेशक द्वारा उपगत किया जा सकेगा, जो ऐसे समस्त व्यय के संबंध में राज्य सरकार को तुरंत सूचित करेगा और ऐसे व्यय की कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करेगा।

**26. लेखे और संपरीक्षा.-** (1) संस्थान आंतरिक जांच की उचित प्रणाली सहित, उससे संबंधित उचित लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों को रखेगा और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विहित की जाये आय तथा व्यय लेखे और तुलन पत्र को सम्मिलित करते हुए लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करायेगा।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय संस्थान द्वारा राज्य सरकार को संदेय होगा।

(3) संस्थान के लेखाओं की ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं तथा विशिष्ट रूप से उसे पुस्तकों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रों के प्रस्तुतीकरण की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों में से किसी का भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, संस्थान के लेखाओं को उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को, वार्षिक रूप से अग्रेषित किया जायेगा और राज्य सरकार संस्थान को इसके संबंध में ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे तथा संस्थान ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उप-धारा (4) के अधीन उसको अग्रेषित किये गये लेखाओं को उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवा सकेगी।

**27. वार्षिक रिपोर्ट.-** संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाये, प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्रति राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

**28. भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ.-** संस्थान अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, भविष्य निधियों और सेवानिवृत्ति फायदों इत्यादि के लिए अभिदाय करेगा।

**29. अधिभार.-** (1) संस्थान का कोई सदस्य, बोर्ड, कोई प्राधिकारी या संस्थान का अन्य निकाय, या यथास्थिति, संस्थान का कोई अधिकारी, अन्य कर्मचारी संस्थान के धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार के लिए दायी होंगे, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उनकी उपेक्षा या दुराचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो।

(2) अधिभार अधिरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अंतर्वलित रकम की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी कि अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित की जाये।

## अध्याय-7

### नियम और विनियम

**30. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपा न्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**31. विनियम बनाने की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, संस्थान, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी मामले के लिए उपबंध करने के लिए, जिसके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा, विनियम बना सकेगा और शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न बैठकें बुलाने और आयोजित करने, ऐसी बैठकों में कार्य का संचालन करने और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या के लिए;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन गठित किये जाने वाले बोर्ड या किसी समिति या अन्य निकाय के गठन के संबंध में किसी मामले के लिए;
- (ग) संस्थान के चेयरपर्सन और निदेशक, अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और निर्वहन किये जाने वाले कृत्यों के लिए;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड और किसी समिति या अन्य निकायों के चेयरपर्सन और सदस्यों को संदत्त किये जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो, के लिए;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड या अन्य प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा उनके कारबार के संचालन, उनकी शक्तियों के प्रयोग और उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए;
- (च) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की पदावधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिए;
- (छ) संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए;
- (ज) संस्थान की संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए;
- (झ) डिग्रियों, डिप्लोमों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों और पदनामों, जो संस्थान द्वारा दिये जा सकेंगे, के लिए;
- (ञ) संस्थान के अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन और उनके लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं सहित, ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए;
- (ट) फीस और अन्य प्रभारों, जो संस्थान द्वारा मांगे और प्राप्त किये जा सकेंगे, के लिए;
- (ठ) रीति जिससे और शर्तें जिनके अध्याधीन रहते हुए, संस्थान के कर्मचारियों के लिए उपदान, बीमा और भविष्य निधि गठित किये जा सकेंगे, के लिए; और
- (ड) अन्य किसी मामले के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन या विनियमों द्वारा उपबंध किये जा सकेंगे।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये कोई विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन से उप-धारा (1) के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा परिवर्तित या विखंडित किए जा सकेंगे।

#### अध्याय-8

##### प्रकीर्ण

**32. आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन.-** संस्थान के समस्त आदेश और विनिश्चय निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे

और संस्थान के संबंधित प्राधिकारी या समिति या अन्य निकायों की बैठकों की कार्यवाही उसके चेयरपर्सन और सदस्य-सचिव के हस्ताक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

**33. रिक्तियाँ आदि द्वारा कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-** इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड या किसी प्राधिकारी या किसी समिति द्वारा किया गया कोई भी कार्य या की गयी कोई भी कार्यवाही, बोर्ड या किसी प्राधिकारी या किसी समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण प्रश्नगत नहीं की जायेगी।

**34. डिग्रियाँ, डिप्लोमे आदि प्रदान करना.-** इस अधिनियम के अधीन संस्थान के पास डिग्रियाँ, डिप्लोमे और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ एवं पदनाम प्रदान करने की शक्तियाँ होंगी।

**35. संस्थान द्वारा प्रदान की गयी शैक्षणिक अर्हताओं को मान्यता.-** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3), और तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान द्वारा प्रदान की गयी डिग्रियाँ, डिप्लोमे और अन्य उपाधियाँ, उक्त अधिनियम और अन्य विधियों के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हताएं होंगी।

**36. राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.-** राज्य सरकार संस्थान को नीतिगत मामलों पर, समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे। ऐसे निदेशों का संस्थान द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

**37. राज्य सरकार की निरीक्षण करवाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार को संस्थान का, इसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उपस्करों सहित उसकी परीक्षाओं, अध्यापन और संस्थान द्वारा संचालित या किये गये किसी अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेशित करे, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा या संस्थान के प्रशासन और वित्त से संसक्त किसी मामले के संबंध में वह उसी रीति से जांच करवा सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उप-धारा(1) के अधीन निरीक्षण या जांच करवाने का विनिश्चय करती है, वहां वह निदेशक के माध्यम से उसकी सूचना संस्थान को देगी और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के दौरान संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रह सकेगा और उसके पास इस निमित्त सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को समस्त वही शक्तियाँ होंगी, जो शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत उन्हें सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष की गयी कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में निदेशक को लिखेगी और निदेशक, उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी सलाह के साथ राज्य सरकार का दृष्टिकोण बोर्ड को संसूचित करेगा।

(5) निदेशक ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो नियत किया जाये, की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान का कोई प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वह किसी ऐसे स्पष्टीकरण, जो ऐसा प्राधिकारी प्रस्तुत करे, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे, और ऐसा प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(7) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन बनवायी गयी प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट या जांच और उप-धारा (5) के अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना और उप-धारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश और ऐसे निदेश के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में प्राप्त प्रत्येक संसूचना की प्रतिलिपि चेयरपर्सन को भेजेगी।

**38. विवरणियां और सूचना.-** संस्थान राज्य सरकार और राज्य केन्द्रीय विनियामक निकायों को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां, विवरण और अन्य सूचना, जो उनके द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाये, प्रस्तुत करेगा।

**39. संविदाओं का निष्पादन.-** संस्थान और संस्थान के प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं बोर्ड द्वारा की गयी और निदेशक द्वारा निष्पादित के रूप में अभिव्यक्त की जायेंगी।

**40. संपत्ति का अंतरण.-** राज्य सरकार संस्थान के उपयोग और प्रबंधन के लिए संस्थान को भवन, भूमि और किसी सम्पत्ति, चाहे जंगम या स्थावर, का अन्तरण ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगी, जैसाकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे।

**41. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-** संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों, (पदेन सदस्यों से भिन्न) की समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र सुविधानुसार, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो सदस्यों की नियुक्ति या नामनिर्देशन करता है, भरी जायेंगी, आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिसका स्थान रिक्त हुआ है ऐसे निकाय या प्राधिकारी का जिसका वह व्यक्ति, जिसका स्थान उसने भरा है सदस्य होता, उसकी शेष अवधि के भाग के लिए सदस्य होगा।

**42. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण.-** इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

**43. संस्थान के सदस्यों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना.-** संस्थान का प्रत्येक सदस्य और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये या जारी किये गये विनियमों या आदेशों या निदेशों के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।

**44. अभिलेख के सबूत का ढंग.-** (1) संस्थान के किसी प्राधिकारी या समिति की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प, या संस्थान के कब्जे में के अन्य दस्तावेज या संस्थान द्वारा सम्यक् रूप से संधारित किसी रजिस्टर में की कोई प्रविष्टि, यदि निदेशक द्वारा प्रमाणित हो, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों और संव्यवहारों के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में इस प्रकार स्वीकृत होंगे, जहां यदि उनका मूल प्रस्तुत किया गया होता, तो साक्ष्य में ग्राह्य होता।

(2) किसी भी कार्यवाही में, जिसमें संस्थान पक्षकार नहीं हो, संस्थान के किसी भी कर्मचारी से संस्थान के किसी दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख को प्रस्तुत करना, जिसकी अंतर्वस्तुओं को उप-धारा (1) के अधीन किसी प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकता हो, या साक्षी के रूप में मामलों और

अभिलिखित संव्यवहारों को साबित करने के लिए उपसंजात होना तब तक अपेक्षित नहीं होगा जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय इसका आदेश न कर दे।

**45. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, August 18, 2023**

**No. F. 2(10)Vidhi/2/2023.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):-

**(Authorised English Translation)**

**THE MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF GOVERNANCE AND SOCIAL  
SCIENCES ACT, 2023  
(Act No. 18 of 2023)**

(Received the assent of the Governor on the 17<sup>th</sup> day of August, 2023)

*An*

*Act*

*to provide for the establishment of the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences at Jaipur in the State of Rajasthan and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Whereas, it is expedient to establish and incorporate an autonomous degree awarding Centre of higher learning under Public-Private Partnership mode in the State, as an institution of future importance and having the status of a university, with the view to award degree, diploma, certificate programs for teaching, research, training, capacity building, extension and advocacy activities relating to governance and social sciences and allied fields.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER-I****Preliminary**

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Board”, in relation to the Institute, means the Governing Board referred to in section 16;
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Governing Board of the Institute referred to in section 8;
- (c) “Dean” means the Dean of the Institute who shall be the in-charge of the academic activities of the Institute appointed under section 13;
- (d) “Director”, means the Director of the Institute appointed under section 10;
- (e) “Employee” means any person appointed by the Institute and includes a teacher or faculty member, an administrative staff, or any other member of the staff of the Institute;
- (f) “Faculty member or Faculty” means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor from the academic track and/or Professors of practice/ professionals from the academic track or a person employed or engaged by the Institute for imparting education or training or guiding or conducting research in the Institute, either on the permanent basis or on contractual basis and includes the Dean(s) and the Director;
- (g) “Finance Officer” means the Finance Officer of the institute appointed under section 14;
- (h) “fund” means the fund of the Institute maintained under section 24;
- (i) “Industry partner” means an individual, or a trust established under the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882), or a company established under the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013), or society formed and registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), or a Partnership Firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act No. IX of 1932), or a financial institution or a combination of one or more of such industry partners;
- (j) “Institute” means the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences, a degree awarding autonomous centre of higher learning, having the status of a university established under section 3;
- (k) “NIRF” means the National Institutional Ranking Framework approved by Ministry of Human Resource Development and accepted by the Ministry of Education, Government of India as the ranking framework for various universities and academic institutions;
- (l) “prescribed” means prescribed by regulations or rules as the case may be;
- (m) “Public-Private Partnership” means such partnership under a scheme of the State Government which provides for establishment of Institute involving collaboration between the State Government and Industry partners;
- (n) “Registrar” means the Registrar of the Institute appointed under section 12;
- (o) “regulations” means the regulations of the Institute made under section 31;
- (p) “rules” means the rules made under this Act;
- (q) “State” means the State of Rajasthan; and

- (r) “UGC” means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956).

## CHAPTER-II

### The Institute

**3. Establishment and incorporation of the Institute.-** (1) There shall be established at Jaipur an Institute called the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences.

(2) The Institute shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The Institute shall function as a University established under the State Act, open to partnership on a Public-Private Partnership mode.

(4) The Institute shall, strive to identify partners for collaboration and, develop a detailed proposal for Public-Private Partnership.

**4. Institute open to all classes and creed.-** The Institute shall be open to all persons irrespective of sex, race, creed or class, and it shall not be lawful for the Institute to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion to entitle him to be appointed as a teacher of the Institute or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the Institute, or to enjoy or exercise any privilege thereof:

Provided that reservation on the posts for recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study for the students, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes, Economically Weaker Sections, Women and Handicapped Persons and other categories of candidates as specified by the State Government from time to time shall be regulated by the laws and orders of the State Government for the time being in force.

**5. Objects of the Institute.-** The Institute shall have the following objects, namely:-

- (a) to offer academic programmes for advanced knowledge in governance and social sciences and to award degrees, diplomas, certificates etc. on successful completion of the programmes;
- (b) to carry out research, publication, consultancy and advisory work to advance new knowledge and innovation and to provide global leadership in governance and social sciences:

Provided that research so conducted shall also be directed towards such areas of study which shall enhance inclusive, equitable and sustainable national and international development goals as enshrined in the objects of this Act;

- (c) to provide education of governance and social sciences and allied fields with high quality and to promote allied areas of knowledge as well as interdisciplinary studies;
- (d) to sensitise governance education to the vision of inclusive, equitable and sustainable national and international development goals in order to contribute holistically to society;
- (e) to support and develop programmes promoting social and gender equity;
- (f) to develop educational programmes and faculties that advance the cause of governance and social sciences education, teaching and learning, across education disciplines;
- (g) to set-up centres for study of governance and social sciences and allied areas;
- (h) to support and collaborate with institutions of governance and social sciences and allied fields and other educational institutions in India; and



- (i) to cooperate and collaborate with educational institutions of governance and social sciences and allied fields in other countries to extend the interest of governance and social sciences education and research.

**6. Powers and functions of the Institute.-** Subject to the provisions of this Act, the Institute shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (a) to institute teaching and training in certificate, undergraduate, postgraduate and super-speciality branches of governance and social sciences and allied fields, to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in such branches;
- (b) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (c) to carry out the administration and management of the Institute;
- (d) to provide by regulations for the admission of candidates/students/ participants to the various courses of study in conformity with the laws for the time being in force;
- (e) to specify and conduct courses of study, training and research in governance and social sciences and allied subjects and document, and disseminate knowledge thereof;
- (f) to evolve innovative education pedagogy aligned to dynamic global governance and social sciences practices;
- (g) to conduct examinations and to establish processes for evaluation and performance assessment through a fair and transparent system;
- (h) to lower the cost of education and to enhance the reach of the education by use of information and communication technology and other innovative methods;
- (i) to determine, specify and receive payment of, fees and other charges as the Institute may deem fit, from students / candidates / participants and any other person, institution or body corporate for instruction and other services, including training, consultancy and advisory services etc., provided by the Institute;
- (j) to appoint committees for the disposal of any business of the Institute or for tendering advice in any matter pertaining to the Institute;
- (k) to receive grants, gifts and contributions, endowments and to have custody of the funds including internally generated funds of the Institute to meet the expenses, including capital expenditure of the Institute and expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions;
- (l) to create partnership, affiliation and other classes of professional or honorary or technical membership or office as the Institute may consider necessary;
- (m) to perform such other functions as may be necessary for carrying out the objects of the Institute; and
- (n) to do any other act or thing, as may be necessary in order to further the objects of the Institute:

Provided that the Institute-

- (i) shall not transfer any immovable property of the Institute by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise except with the previous sanction of the State Government; and
- (ii) shall not create any post in the Institute except with the prior approval of the State Government or except in accordance with any general or special order of the State Government.

(2) The Institute shall be a not-for-profit legal entity and no part of the surplus, if any, in revenue of such Institute, after meeting all expenditure in regard to its operations under this Act, shall be invested for any purpose other than for the growth and development of the Institute or for conducting research etc. therein;

(3) The Institute may, with prior approval of the Governing Board, appoint teaching and non-teaching staff from both academia and industry, either on a permanent or contractual basis. The Institute may also outsource certain activities and facilities as may be deemed fit by the Governing Board.

(4) The pay and other allowances to various categories of employees of the Institute shall be such as may be determined from time to time by the Governing Board on suggestions by the Selection Committee in concurrence of the Finance and Procurement Committee.

### CHAPTER-III

#### Officers of the Institute

**7. Officers of the Institute.-** The following shall be the officers of the Institute, namely:-

- (a) The Chairperson of the Institute;
- (b) The Director;
- (c) The Registrar;
- (d) The Dean;
- (e) The Finance Officer; and
- (f) Such other officers as may be prescribed by the regulations.

**8. Chairperson.-** (1) An eminent person from the academia/industry shall be the Chairperson of the Institute and shall also be the Chairperson of the Governing Board.

(2) The appointment of the Chairperson shall be on the basis of nomination by the State Government.

(3) The term of office of the chairperson shall be three years.

**9. Powers and Functions of the Chairperson.-** (1) The powers and functions of the Chairperson shall be,-

- (a) to ensure that the administration of the affairs of the Institute are being conducted in accordance with the provisions of this Act and the regulations and to take such steps, as he deems fit;
  - (b) to call for such information or records relating to the administration of the affairs of the Institute;
  - (c) to review the academic progress of the Institute and to ensure whether the same is aligned with the objects of the Institute;
  - (d) to help the Institute in establishing linkages with world-renowned academic institutions;
  - (e) to include in the agenda at any time before or during a meeting, fresh items of business or items supplementary to those included in the agenda for consideration; and
  - (f) to exercise such other powers and perform such other functions, as may be prescribed under the regulations or may be delegated to him by the Governing Board.
- (2) The Chairperson may delegate any of his powers to the Director of the Institute.
- (3) The Chairperson shall preside over the meetings of the Board of the Institute.
- (4) The meetings of the Institute shall be convened as per the directions of the Chairperson.

**10. The Founding Director and Director.-** (1) The founding Director of the Institute shall be nominated by the State Government from among the best talents from academia or industry. The founding Director of the institute shall be appointed for a period of three years from the date of the appointment.

(2) The post of the Director of the Institute shall be filled by public advertisement, followed by an interview process. The Director shall be appointed by the Chairperson on the recommendation of a Selection Committee consisting of,-

- (a) Chairperson of the Institute -Ex-officio Chairperson;
- (b) Secretary to the Government in-charge of the Department of Higher Education -Ex-officio Member;
- (c) three experts from Industry or Academia -who are already part of the Governing Board to be nominated by the Chairperson of the Institute - Members;
- (d) two experts each, from the industry and academia to be nominated by the State Government -Members.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) (a) Only such person shall be eligible for the appointment to the office of the Director with a Ph.D. or equivalent high level academic/industry achievement with a distinguished career in academia and / or industry, having experience as per UGC guidelines of institution building and who has made a significant contribution to the field of knowledge and practice through high quality refereed publications, patents and policy impact.

(b) The Director shall hold office for a term of five years from the date he enters upon his office or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier: Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(4) The Director may in writing under his hand addressed to the Chairperson resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance thereof by the Chairperson.

(5) The Selection Committee shall, as far as may be, at least ninety days before the date on which a vacancy in the office of the Director is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (4) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chairperson, submit to the Chairperson the names of not less than three persons to hold the office of the Director. While submitting the names, the Committee shall also forward to the Chairperson a concise statement showing the qualifications of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

(6) Where the Chairperson does not consider any one or more of persons recommended by the Selection Committee to be suitable for appointment as the Director or if one or more of the persons recommended is/are not available for appointment and the choice for the post of the Director is restricted to less than three persons, he may require the

Committee to submit a list of fresh names in accordance with the provisions of sub-section (3).

(7) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceeding who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(8) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chairperson shall be the sole judge), the Chairperson may, for reasons to be recorded in writing, appoint any suitable person to the office of the Director for a term not exceeding six months as he may specify:-

- (a) where the vacancy in the office of the Director occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (6); or
- (b) any other emergency.

(9) In the absence of the Director, the senior-most Professor of the Institute shall discharge the duties of the Director.

(10) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Director shall be such as may be determined by the regulations of the Institute and approved by the Governing Board by general or special order in that behalf.

(11) The Board may remove from office the Director, who-

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as a Director; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a Director; or
- (e) has so abused his position or so conducted himself as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Director shall not be removed from office except by an order made by the Board, after an enquiry instituted by it in which the Director has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

**11. Powers and functions of the Founding Director and Director.-** (1) The founding Director / Director shall be the principal executive and academic officer of the Institute.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Director,-

- (a) shall in the absence of the Chairperson, preside over the meetings;
- (b) shall exercise general supervision and control over the affairs of the Institute;
- (c) shall provide the strategic vision, planning and leadership for the continuous progress of the Institute;
- (d) shall ensure implementation of the decisions of the authorities of the Institute;
- (e) shall be responsible for collaborations with the academic institutes of repute for course curricula creation and real-time revision, along with offering gainful employment opportunities for the eligible, regular students of the Institute;
- (f) shall be responsible for the faculty development initiatives of the Institute;
- (g) shall be responsible for imparting of instructions and maintenance of discipline in the Institute;
- (h) may engage, with the approval of the Board, any person for a period not exceeding three years for such purpose as may be necessary in the interest of the Institute;

- (i) shall be responsible for real-time academic/institutional monitoring on quality parameters;
- (j) shall be responsible for preparation of Institutional Development Plan (IDP) for each academic year and align with Sustainable Development Goals; and
- (k) shall be responsible for sourcing funds from sources such as Corporate Social Responsibility (CSR) funding, sponsored research, industry collaboration, joint certifications etc..

(3) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same cannot be immediately dealt with by any officer or authority of the Institute, empowered by or under this Act to deal with it, the Director may take such action, as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chairperson and also to the officer or authority who in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if such officer or authority is of opinion that such action ought not to have been taken by the Director, it may refer the matter to the Chairperson who may either confirm the action taken by the Director or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit, and thereupon it shall cease to have effect or shall take effect in the modified form, as the case may be:

Provided further that such annulment or modification, as is referred to in the preceding proviso shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Director.

(4) The Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned to him by the Chairperson of the Board or any other authority.

(5) The Director shall be responsible to conduct and manage all matters relating to the Institute.

**12. Registrar.-** (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the Institute. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Director.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the Professors/Associate Professors of the College Education (Department of Higher Education, Rajasthan) or officers of the Rajasthan Administrative Service (not below super time scale) or through public advertisement as may be prescribed by the regulations, followed by an interview process conducted by a Selection Committee consisting of –

- (a) Director -Ex-officio Chairperson;
- (b) Secretary to the Government in-charge of the Department of Higher Education -Ex-officio Member; and
- (c) three experts from Industry or Academia, to be nominated by the State Government -Members.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) The Registrar shall be a whole-time officer of the Institute. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the regulations.

(4) The Registrar shall-

- (a) comply with all directions and orders of the Governing Board and the Director;

- (b) be the custodian of the records, common seal and such other property of the Institute as the Governing Board may commit to his charge. He shall be the ex-officio Member-Secretary of the Board. He shall place before the Board and Academic Council all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall receive applications for entrance to the Institute and shall keep a permanent record of all syllabi, curricula and such other information as may be deemed necessary;
- (c) keep the minutes of all meetings of the Governing Board, the Academic Council, the Finance and Procurement Committee, the Faculties, and any Committee appointed by any authority of the Institute;
- (d) conduct the official correspondence of the Governing Board and the Academic Council;
- (e) call a meeting of the Governing Board forthwith in an emergency, when neither the Chairperson nor the officer duly authorized are able to act and to take its directions for carrying on the work of the Institute;
- (f) be directly responsible to the Director for the proper discharge of his duties and functions; and
- (g) perform such other duties as may be assigned to him by the Governing Board or the Director from time to time.

(5) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason it shall be open to the Director to authorize any officer in the service of the Institute to exercise such powers and perform such functions and duties of the Registrar, as the Director deems fit.

**13. The Dean.-** (1) There shall be a Dean of the Institute, whom the Board shall appoint from amongst the senior Professors of the Institute. He shall hold office for three years and may be eligible for re-appointment.

(2) The Dean shall assist the Director in academic affairs of the Institute and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the regulations.

**14. Finance Officer.-** (1) There shall be a Finance Officer for the Institute, whom the Director shall appoint upon recommendation of the Governing Board, and his remuneration and allowances shall be such as may be prescribed by the regulations.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Finance Officer shall be appointed either by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service (not below supertime scale) or through public advertisement as may be prescribed by the regulations, followed by an interview process conducted by a Selection Committee under section 12 and the position may also be filled on a Fixed Term Contract basis.

(3) The Finance Officer shall have the following duties, namely:-

- (a) to ensure that no expenditure is incurred by the Institute which has not been authorised in the budget;
- (b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or regulations made thereunder;
- (c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set-right any irregularity pointed out during audit or appeared otherwise;
- (d) to ensure that the property and investments of the Institute are duly preserved and managed; and
- (e) to perform such other functions as may be assigned to him by the Chairperson or Governing Board.

(4) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the Institute and the furnishing of such information pertaining to its affairs, as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(5) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the regulations.

#### CHAPTER-IV

##### Authorities of the Institute

**15. Authorities of the Institute.-** The following shall be the authorities of the Institute, namely:-

- (a) Governing Board;
- (b) Academic Council;
- (c) Finance and Procurement Committee;
- (d) Admission Committee;
- (e) Examination Committee;
- (f) Selection Committee; and
- (g) Such other authorities as may be prescribed by the regulations to be the authorities of the Institute.

**16. Governing Board.-** (1) The Governing Board shall be the principal governing body of the Institute and shall consist of –

- (a) Chairperson of the Institute -Ex-officio Chairperson;
- (b) Secretary to the Government in-charge of the Department of Finance -Ex-officio Member;
- (c) Secretary to the Government in-charge of the Department of Higher Education - Ex-officio Member;
- (d) two Directors/Vice-Chancellors from Institutes/Universities having consistent overall NIRF-100 ranking to be nominated by Chairperson of the Institute on recommendation made by the State Government - Ex-officio Member;
- (e) three eminent personalities from Finance/Governance and Social Sciences sector to be nominated by Chairperson of the Institute on recommendation made by the State Government -Members;
- (f) three eminent personalities from Industry or Academia to be nominated by Chairperson of the Institute on recommendation made by the State Government -Members;
- (g) the Director - Ex-officio Member;
- (h) the Registrar -Ex-officio Member-Secretary; and

(i) the Dean

- Ex-officio Member.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(2) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.

(3) The term of office of a member nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (1) shall be two years from the date of his nomination.

(4) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

(5) The Board shall meet at least once in three months at such time and place as the Chairperson may from time to time determine.

(6) The procedure to be followed by the Board for the transaction of business in any meeting or otherwise or in the exercise of its powers or performance of its functions shall be such as may be prescribed by the rules.

(7) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by the rules, the Board may constitute such committees, as it thinks fit, for exercising any power or performing any function under this Act.

**17. Powers and functions of the Board.-** (1) Save as otherwise provided in this Act, the Board shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board-

- (a) shall take steps for the implementation of the decisions of the Institute on matters of policy relating to the administration of the affairs and working of the Institute;
- (b) shall institute courses of study at the Institute aligned with the changing needs of the industry and take decisions on the advice of the Academic Council on all academic matters including matters relating to the examinations conducted by the Institute;
- (c) shall provide the strategic vision, planning and leadership for the continuous progress of the Institute;
- (d) shall hold and control the property and funds of the Institute;
- (e) may acquire any movable or immovable property on behalf of the Institute;
- (f) shall administer any fund placed at the disposal of the Institute for specific purposes;
- (g) may create or abolish posts of teachers and other employees of the Institute;
- (h) may manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose, appoint such agent as it may think fit;
- (i) may invest any money belonging to the Institute (including any income from endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it from time to time, thinks fit;
- (j) may enter into, vary, carry-out and cancel contracts on behalf of the Institute; and
- (k) may make other decisions in the interest of the Institute on matters not inconsistent with the provisions of this Act or the regulations made thereunder.

**18. The Academic Council.-** (1) The Academic Council shall consist of-

(a) the Director

-Ex-officio Chairperson;



- (b) the Registrar - Ex-officio Member;
- (c) the Dean - Ex-officio Member-Secretary;
- (d) all Heads of teaching departments - Ex-officio Members;
- (e) three persons from Finance/ Governance and Social Sciences sector to be nominated by the Chairperson on recommendation by the State Government -Members; and
- (f) three eminent academics from India or abroad to be nominated by the Chairperson on recommendation by State Government -Members.

(2) The Academic Council shall perform the following functions, namely:-

- (a) to prepare and to recommend changes in curricula and syllabi for the courses of study for the various departments;
- (b) to ensure that the courses offered are utilising the relaxation and development in online / digital learning;
- (c) to enable personalized learning with career counseling support;
- (d) to enable formative assessments across all courses;
- (e) to make arrangement for the conduct of examinations;
- (f) to make recommendations on academic matters in connection with the working of the departments;
- (g) to appoint sub-committees from amongst the members of the Academic Council, other teachers of the Institute and experts from outside on such specific matters as may be referred to such sub-committee by the Academic Council;
- (h) to consider the recommendations of the sub-committees and take such action as circumstances of each case may require including making of suitable recommendations to the Board;
- (i) to make periodic review of the activities of the departments and if necessary, make suitable recommendations to the Board;
- (j) to advise on the working of library and the research centre etc.;
- (k) to promote research within the Institute and foster the culture of ideate-invent-implement;
- (l) to advise on general policy to be followed in respect of consultation work to be done by academic staff;
- (m) to provide for the inspection of classes, library and disciplines therein and submit reports thereof to the Board; and
- (n) to award stipends, fellowships, scholarships, free-ships, medals and prizes etc. as per the conditions attached to the awards.

(3) The Academic Council shall meet as often as necessary but not less than four times during a calendar year to review the academic transactions and emerging teaching-learning needs.

(4) The meeting of the Academic Council shall be convened by the Member-Secretary of the Council either on his own initiative or on the direction of the Director or on a requisition signed by not less than five members of the Academic Council.

(5) Half of the total number of the members of the Academic Council shall form the quorum.

(6) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Member-Secretary to the members of the Academic Council at least one week before the meeting. The Chairperson of the Academic Council may permit the inclusion of any item on the agenda for which due notice could not be given.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Chairperson may call an emergent meeting of the Academic Council at short notice to consider urgent or special issues.

(8) The decision of the Chairperson of the Academic Council in regard to all matters shall be final.

(9) The minutes of the Academic Council shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated amongst all members present in the meeting.

**19. Finance and Procurement Committee.-** (1) The Finance and Procurement Committee shall consist of-

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| (a) | the Director                                      | -Ex-officio Chairperson;      |
| (b) | the Registrar                                     | -Ex-officio Member-Secretary; |
| (c) | the Finance Officer                               | -Ex-officio Member; and       |
| (d) | one member to be nominated by the Governing Board | -Member.                      |

(2) The Finance and Procurement Committee shall advise the Board on matters relating to the administration of property and funds of the Institute including limits for the principles to be observed with regard to the recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year, having regard to the income and resources of the Institute.

(3) The Finance and Procurement Committee shall take all decisions related to the procurement of all products and services on behalf of the Institute.

(4) The Finance and Procurement Committee shall have such other functions and powers as may be required for discharge of its functions as may be prescribed by the rules.

**20. Other Authorities.-** The constitution, powers and functions of the Admission Committee, Examination Committee and other authorities of the Institute shall be such as may be prescribed by the rules.

## CHAPTER-V

### Staff of the Institute

**21. Staff of Institute.-** (1) The Institute shall appoint such number of employees against the posts as may be sanctioned by the Governing Board from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the Institute shall be such as may be provided in the regulations.

(2) The Institute shall endeavour to attract motivated and competent individuals from related institutes and leading academics from India or abroad.

(3) In the interest of the Institute, eligible Government servants may be appointed on deputation basis or by transfer of service as per Government norms and conditions.

(4) The Board may, from time to time, create or abolish posts as it considers proper, subject to the conditions mentioned in the relevant regulations.

**22. Appointment and promotion of faculty members, officers and other employees.-** (1) Subject to the provisions of this Act, such number of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Officers, shall be appointed by the Chairperson. The other employees, as may be necessary, shall be appointed by the Director.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the officers, faculty members and other employees of the Institute shall be appointed in such manner and with such designations and grades as may be prescribed by the rules.

(3) The employees of the Institute appointed under this Act shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by the rules.

(4) No person shall be appointed as a faculty member of the Institute, unless he fulfils the qualifications prescribed by the University Grants Commission, or any other Central/State Regulatory Body and the regulations made under this Act, as the case may be, and recommended by a Selection Committee constituted in this behalf under this Act.

(5) The Selection Committee for the appointment or promotion to a Professor, an Associate Professor, an Assistant Professor and other faculty members of the Institute shall consist of-

- (a) the Director who shall be the Chairperson of the Selection Committee;
- (b) the Dean;
- (c) three experts to be nominated by the Chairperson; and
- (d) such other persons as may be prescribed by the rules.

(6) The Selection Committee constituted under this section shall follow such procedures as may be prescribed under the rules framed under this Act.

(7) No recommendations made by the Selection Committee shall be considered to be valid, unless a majority of the members present support it:  
Provided that in the case of Selection Committee constituted under sub-section (5), the presence of at least two experts shall be necessary.

(8) Where the Selection Committee fails to make a recommendation in accordance with the provisions of sub-section (7), the minutes of the Selection Committee shall be submitted to the Chairperson who shall forward the same, along with his views thereon, to the Governing Board for decision and the decision of the Board shall be final.

(9) Where the recommendations of the Selection Committee are not acceptable to the Chairperson, it shall refer the whole case to the Board specifying the grounds of objection to such recommendations in precise terms, and the decision of the Board thereon shall be final: Provided that it shall be lawful for the Chairperson to refer the case to the Selection Committee for reconsideration or to require another Selection Committee to be constituted for consideration of the case.

## CHAPTER-VI

### Finance and Audit

**23. Grant-in-aid by State.-** For the purpose of enabling the Institute to perform its functions efficiently under this Act, the State Government may, after due appropriation made by the House of State Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money in such manner as it may think fit.

**24. Fund of the Institute.-** (1) The Institute shall maintain a fund to which shall be credited-

- (a) all funds provided by the State Government;
- (b) all fees and other charges received by the Institute; and
- (c) all funds received by the Institute in any other manner or from any other source.

(2) The Institute shall strive to generate its own sources of funds and progressively reduce dependence on funds provided by the State Government, with an objective of becoming self-reliant on operations within five years from commencing operations.

(3) All funds credited to the Institute shall be deposited in any Scheduled Banks and invested in such manner as the Institute may ascertain, with the approval of the Finance and Procurement Committee and the Governing Board.

(4) The fund shall be applied towards meeting the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and performance of its functions as provided under section 6.

**25. Budget of the Institute.-** (1) The Institute, shall prepare, in such form and at such time, every year as may be prescribed by the rules, a budget in respect of the financial year ensuing, next showing the estimated receipts and expenditure of the Institute and the same shall be forwarded to the State Government in such manner as may be prescribed under the rules.

(2) The Budget shall clearly show the institutional development plan approved by the Governing Board for the same period.

(3) The Board shall comply with such directions as may be given by the State Government while approving the Budget finally.

(4) It shall not be lawful for the Institute to incur any expenditure not sanctioned in the Budget or in the case of funds granted to the Institute, subsequent to the sanction of Budget by the State Government or the Government of India, or any international organisation or foundation or any other agency save in accordance with the terms of such grant:

Provided that funds from sources other than that of the Government of India and of the State Government will be received by the Institute only after obtaining the necessary clearances, as required under the law:

Provided further that in the case of sudden or unforeseen circumstances, non-recurring expenditure not exceeding rupees twenty-five lacks, beyond sanction in the Budget may be incurred by the Director who shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure and shall seek ex-post facto sanction of such expenditure.

**26. Accounts and Audit.-** (1) The Institute shall cause proper accounts and other records in relation thereto be kept, including the proper system of internal check and prepare an annual statement of accounts including the income and expenditure account and the balance sheet in such manner as may be prescribed by the regulations.

(2) The Accounts of the Institute shall be audited by such persons as may be appointed by the State Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Institute to the State Government.

(3) The person so appointed and any other person so authorised by him in connection with such audit of accounts of the Institute shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Institute.

(4) The accounts of the Institute certified by the person so appointed or any other person authorised in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded

annually to the State Government and the State Government may issue such instructions to the Institute in respect thereof as it deem fit and the Institute shall comply with such instructions.

(5) The State Government may cause the accounts of the Institute together with the audit report thereon forwarded to them under sub-section (4) to be laid annually before the House of the State Legislature.

**27. Annual Report .-** The Institute shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare the Annual Report and submit it to the State Government, before such date as may be prescribed by the rules and copy of such report shall be laid before the House of the State Legislature.

**28. Pension or provident fund.-** (1) For the benefit of its officers, teachers and employees, the Institute shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) The provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925), shall apply to a fund or an insurance scheme as if it were a State Government fund or scheme and the Institute shall contribute to or invest in such fund or scheme.

(3) Provision shall be made in the regulations to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer.

**29. Surcharge.-** (1) A member of the Institute, the Board, any authority or other body of the Institute, as the case may be, or an officer, other employees of the Institute shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Institute, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of imposing surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed under the rules framed under this Act.

## CHAPTER-VII

### Rules and Regulations

**30. Power to make rules.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**31. Power to make regulations.-** (1) Subject to the provisions of this Act, the Institute may, with the previous approval of the State Government, make regulations to provide for any matter which is to be or may be provided for by regulations and without prejudice to the generality of the power, such regulations may provide for, namely:-

- (a) the convening and holding of meetings, other than the first meeting, of the Institute, the conduct of the business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum;
- (b) any matter in respect of the constitution of the Board or any Committee or other body to be constituted under this Act;
- (c) the powers and functions to be exercised and discharged by the Chairperson and the Director, other officers of the Institute;
- (d) the allowance, if any, to be paid to the Chairperson and the members of the Board and of any Committee or other bodies constituted under this Act;
- (e) the procedure to be followed by the Board or other authorities or other bodies constituted under this Act in the conduct of their business, exercise of their powers and discharge of their functions;
- (f) the powers and duties of the Director and other officers and employees of the Institute;
- (g) the management of the properties of the Institute;
- (h) the degrees, diplomas and other academic distinctions and titles which may be granted by the Institute;
- (i) the creation of the posts of teachers, officers and employees of the Institute, and the appointment of persons to such posts including the minimum qualifications requisite thereto;
- (j) the fees and other charges which may be demanded and received by the Institute;
- (k) the manner in which, and the conditions subject to which pension, gratuity, insurance and provident fund may be constituted for the employees of the Institute; and
- (l) any other matter for which provisions may be made by regulations under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first regulations under this Act, shall be made by the State Government and any regulations so made may be altered or rescinded by the Board for exercise of its powers under sub-section (1) with the approval of the State Government.

## CHAPTER-VIII

### Miscellaneous

**32. Authentication of orders and instruments.-** All orders and decisions of the Institute shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorised by the Institute and other instruments shall be authenticated by signature of the director or any other officer of the institute authorised in this behalf and proceeding of the meetings of concerned authority or committee or other bodies of the Institute shall be authenticated by the signatures of the Chairperson and the Member-Secretary thereof.

**33. Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies etc.-** No act or proceedings of the Board or any authority or any committee constituted under this Act shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy in Board or any authority or any committee.

**34. Grant of degrees, diplomas etc.-** The Institute shall have powers to grant degrees, diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

**35. Recognition of Academic Qualifications granted by the Institute.-** Subject to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956), and other laws for the time being in force, degrees, diplomas, and other distinctions granted

by the Institute shall be recognised qualifications for the purposes of the said Act and other laws.

**36. Power of the State Government to issue directions.-** The State Government may issue such directions from time to time to the Institute on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act. Such directions shall be complied with by the Institute.

**37. Power of the State Government to cause inspection.-** (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the Institute including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and any other work conducted or done by the Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the Institute.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Institute of the same through the Director and any person nominated by the Board shall be present at such inspection or inquiry as representative of the Institute and he shall have the right to be heard as such.

(3) The person or persons directed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) and the proceeding before him shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

(4) The State Government shall address the Director with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Director shall communicate to the Board the view of the State Government together with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Director shall submit a report to the State Government of the action taken or proposed to be taken within such time, as it may fix.

(6) If an authority of the Institute do not take action to the satisfaction of the State Government within a reasonable time, may after considering any explanation which such authority may furnish, issue such directions as it may think fit, and such authority shall comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chairperson a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Director under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report for information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

**38. Returns and Information.-** The Institute shall furnish to the State Government and State/Central Regulatory Bodies such reports, returns, statements, and other information as may be required from time to time by them.

**39. Execution of contracts.-** All contracts relating to the Institute and administration of the Institute shall be expressed as made by the Board and executed by the Director.

**40. Transfer of property.-** The State Government may transfer to the Institute building, lands and any property whether movable or immovable for use and management of the Institute on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act.

**41. Filling of casual vacancies.-** All the casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the Institute shall be filled, as

soon as may be convenient, by the person or body who appoints or nominates the members whose place has become vacant and any person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.

**42. Protection of persons acting under this Act.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules and regulations made thereunder.

**43. Members and employees of the Institute to be public servants.-** Every member and employee of the Institute, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or rules or regulations or orders or directions made or issued thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No.45 of 1860).

**44. Mode of proof of the record.-** (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the Institute, or other documents in the possession of the Institute or any entry in any register duly maintained by the Institute, if certified by the Director shall notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be admitted as prima facie evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admitted in evidence.

(2) No employee of the Institute shall in any proceeding to which the Institution is not a party, be required to produce any document, register or other record of the Institute, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.

**45. Power to remove difficulties.-** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,  
Principal Secretary to the Government.

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।